सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

## झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या- 121 राँची, मंगलवार, 17 माघ, 1938 (श०) / 7 फरवरी, 2017 (ई०)

## नगर विकास एवं आवास विभाग

---

संकल्प

3 फरवरी, 2017

**विषयः झारखंड भवन उपविधि, 2016 की प्रभावी तिथि 5 अप्रैल, 2016 के पूर्व विभिन्न निकायों/प्राधिकारो में जमा किए गए नक्शों को तत्कालीन प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार निस्तारण हेतु पूर्व से निर्धारित समय सीमा को विस्तारित किए जाने के संबंध में ।**

---

**संख्या-06/न०वि०(TCPO)/भ०उ०वि०-06/2016-930**-- झारखंड भवन उपविधि, 2016 की प्रभावी तिथि 5 अप्रैल, 2016 के पूर्व विभिन्न निकायों/प्राधिकारो में जमा किए गए नक्शों को तत्कालीन प्रचलित भवन उपविधि के अनुसार निस्तारित किए जाने के संबंध में नगर विकास एवं आवास विभाग के संलेख ज्ञापांक-5342, दिनांक 23 सितम्बर, 2016 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 23 सितम्बर, 2016 में मद संख्या-21 के रूप में सम्मिलित कर स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

स्वीकृति के अनुसार निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-5356, दिनांक 24 सितम्बर, 2016 की कंडिका-5 (ख) में निष्पादन हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है जो निम्नवत् है-

*"यह निष्पादन इस आशय का संकल्प निर्गत की तिथि से 03 महीने के अन्दर किया जाएगा। 03 महीने के उपरान्त इस प्रकार के लंबित नक्शों की स्वीकृति किसी भी हालत में नहीं की जाएगी।"*

2. राँची नगर निगम द्वारा उक्त संकल्प की कंडिका-5 (क) "झारखंड भवन उपविधि, 2016 की प्रभावी तिथि 5 अप्रैल, 2016 के पूर्व विभिन्न निकायों/प्राधिकारों में जमा किए गए लंबित समस्त नक्शों का निष्पादन प्रभावी तिथि 5 अप्रैल, 2016 के पूर्व जमा किए गए कागजातों के आधार पर संबंधित निकाय/प्राधिकार में तत्समय प्रचलित भवन उपविधि के मानकों के अनुसार किया जाएगा। इस क्रम में कोई भी अन्य/पूरक कागजात समर्पित करना वर्जित होगा।" के आलोक में दिशानिर्देश हेतु अनुरोध किया गया ।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय पत्रांक-6034, दिनांक 3 नवम्बर, 2016 के द्वारा निम्नांकित रूप से स्थिति स्पष्ट की गई है :-

*"इस क्रम में कोई भी अन्य पूरक कागजात समर्पित करना वर्जित होगा"* का अभिप्राय है कि आवेदक/आवेदिका द्वारा दिनांक 5 अप्रैल, 2016 के पूर्व तक संबंधित निकाय/प्राधिकार में आवेदित किए गए अभ्यावेदन/आवेदन के साथ संलग्न आवश्यक वैधानिक दस्तावेजों के अतिरिक्त अन्य पूरक कागजात समर्पित करना वर्जित है । अर्थात् नक्शा स्वीकृति से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जो आवेदन के समय समर्पित किया जाना था परंतु जमा नहीं किए गए हों, वैसे कागजात/दस्तावेज वर्जित है। इस क्रम में आवेदक से मांगे गये संशोधित नक़्शे, एरिया कैलकुलेशन तथा Hydrological Report के क्रम में प्राप्त प्रत्युत्तर भी प्राप्त किये जा सकेंगे ।

निकाय/प्राधिकार द्वारा यदि नक्शा से संबंधित किसी प्रकार के सत्यापन/वैधानिक NOC के लिए सरकार के विभिन्न कार्यालयों से पत्राचार किया गया है तो पत्राचार के आलोक में प्राप्त राय/परामर्श/निर्देश स्वभाविक रूप से स्वीकार्य है क्योंकि यह नक्शा स्वीकृति प्रक्रिया के क्रम में की गई है।"

4. उपरोक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त संकल्प संख्या-5356, दिनांक 23 सितम्बर, 2016 की कंडिका-5 (ख) में निर्धारित समय सीमा को विभागीय पत्रांक-6034 (अनु०), दिनांक 3 नवम्बर, 2016 के निर्गत किए जाने की तिथि (दिनांक 3 नवम्बर, 2016) से 90 दिनों तक विस्तारित की जाती है ।

5. उक्त निर्णय पर राज्य मंत्रिपरिषद् (दिनांक 31 जनवरी, 2016 की बैठक में) की स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्य के राज्यपाल के आदेश से,

**अरूण कुमार सिंह,**
सरकार के प्रधान सचिव ।

---

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 121--50